मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 29../11/2019

क्रमांक एफ 7-3/2019/सात/5: प्रदेश में राजस्व ग्रामों के नक्शों के डिजीटाईजेशन का कार्य किया गया है। अधोसंरचना निर्माण की परियोजनाओं के लिए ग्रामों के नक्शों से संबंधित shape file (जिसमें निजी भू धारकों के नाम, पता आदि नहीं रहते हैं) की आवश्यकता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने के लिए उपयोगी होती है। अत: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी भी संस्था/व्यक्ति द्वारा राजस्व ग्राम की shape file प्राप्ति हेतु आवेदन दिये जाने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतर्गत गठित संस्था MAP-IT (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) के माध्यम से shape file ₹ 5000/- प्रति राजस्व ग्राम की दर पर उपलब्ध करायी जाये। उक्त राशि राज्य शासन की आय होगी एवं इसे संचित निधि के 0029-00-800-0019 (Fee for Revenue Court Case Registration and Processing) मद में जमा किया जाये। MAP-IT द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम की shape file हेतु ₹ 100/- सेवा शुल्क लिया जा सकेगा।

2. कंडिका 1 अनुसार shape file उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों से यह बचन पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा shape file का पुन: विक्रय नहीं किया जायेगा।

3. यह स्वीकृति/आदेश वित्त विभाग के Uo No. 431/ R-669/B-5/19 दिनांक 23.11.19 द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(दिनेश कुमार मौर्य)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग